



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092023-248655
CG-DL-E-12092023-248655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3819]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945

No. 3819]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

आयकर

का.आ. 3981(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (vii)कख के उप-खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ 986(अ), दिनांक 5 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2020, दिनांक 5 मार्च, 2020, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा में, -

(i) खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाए, अर्थात्: -

"(vii) निवेश न्यास की इकाई;

(viii) किसी योजना की इकाई;

(ix) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के तहत शुरू किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड न्यास की इकाई।";

(ii) व्याख्या के खंड में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाए, अर्थात्: -

"(घ) "निवेश न्यास" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियम 83 का उप-विनियम (1) के उप-खंड (घ) में दिया गया है।

(ङ) "योजना" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (न्यास प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं 71/2023, फा. सं. 225/103/2023-आईटीए-II]

कास्त्रो जयप्रकाश. टी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. का. आ 986(अ), दिनांक 5 मार्च, 2020 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसे बाद में का.आ. सं. 3652(अ) दिनांक 03 अगस्त 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई अधिसूचना सं. 89 द्वारा संशोधित किया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2023

INCOME-TAX

S.O. 3981(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (viiab) of section 47 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), number 16/2020, dated the 5th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 986(E), dated 5th March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, -

(i) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely: -

“(vii) unit of investment trust;

(viii) unit of a scheme;

(ix) unit of a Exchange Traded Fund launched under International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022, ”;

(ii) in the Explanation, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

“(d) “Investment Trust” shall have the meaning assigned to it in clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 83 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022.

(e) “Scheme” shall have the meaning assigned to it in clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022.”.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 71/2023, F. No. 225/103/2023-ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 986(E) dated 5th March, 2020, and subsequently amended by Notification No. 89 of 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 3652(E) dated 03rd August, 2022.